

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 15, 1981/पौष 25, 1902

No. 17] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 1981/PAUSA 25, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 4-आईटीसी(पी एन)/81

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1981

विषय: अप्रैल, 1980, मार्च, 1981 के लिए आयात नीति।

वि० सं० 12/4/78-ईपीसी(आ-2) :—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 9-आई
टीसी(पीएन)/80, दिनांक 15 अप्रैल, 1980 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1980—मार्च, 1981
की आयात-नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उक्त आयात-नीति में नीचे निदिष्ट उपर्युक्त स्थानों पर निम्नलिखित संशोधन किए गए समझे जाएंगे :—

क्रम सं०	आयात-नीति सं० की पृष्ठ सं०	संशोधन	संशोधन
1	2	3	4
1	207	परिशिष्ट - 31 विदेशी क्रेता द्वारा संचारित स्वर्ण के मद्दे स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिए योजना पैरा 9	वर्तमान पैरा 9 का उप-पैरा 9(1) के रूप में पुनः संशोधित किया जाएगा और उसके बाद निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाएगा :— “(2) हथकरघा और हस्तशिल्प निर्यात परिवर्धन भी भारत में सोना आयात होने पर उसे प्राप्त करने के लिए स्वर्ण नियंत्रण प्रशासन से सामान्य अनुमति, प्राप्त करेगी।”
2	207	परिशिष्ट- 31 विदेशी क्रेता द्वारा संचारित स्वर्ण के मद्दे स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिए योजना	“और मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे :— “मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात और अधिकार क्षेत्र वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता, जैसा भी मामला हो।”

मणिनारायण स्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

Import Trade Control

Public Notice No. 4 ITC (PN) 81

New Delhi, the 15th January, 1981

Subject : Import Policy for April 1980-March, 1981.

F. No. 12/4/78-EPC(Vol. II).—Attention is invited to Import Policy for April, 1980-March, 1981, published under the Department of Commerce Public Notice No. 9-ITC (PN)/80 dated the 15th April, 1980.

2. The following amendments shall be deemed to have been made in the said Import Policy at the appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import Policy 1980-81	Reference	Amendment
1	207	Appendix 31 Scheme for Export of Gold Jewellery against Gold supplied by the foreign buyer Para 9	The existing para 9 shall be re-numbered as sub para 9(1) and the new following sub para shall be inserted thereafter:— “(2) The HHEC will also obtain a general permission from the Gold Control Administration for receiving the gold on import into India.”
2	207	Appendix 31 Scheme for Export of Gold Jewellery against Gold supplied by the Foreign buyer Para 22	The words “and the Chief Controller of Imports and Exports” shall be substituted by the following words:— “the Chief Controller of Imports and Exports and jurisdictional Collector of Central Excise or Customs, as the case may be.”

MANI NARAYANSWAMI,
Chief Controller of Imports and Exports

